राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)(66)नियम / डीएलबी / 2024 / 12994 जयपुर,दिनांकः 19/1/24

–:आदेश :–

राजस्थान नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 26 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 में पट्टा विलेख का प्रारूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने के प्रावधान है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान नगर पालिका (अकृषि भूमि का अभ्यार्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा) नियम 2015 के नियम 9 में फ्री होल्ड पट्टे पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चेयर पर्सन या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी करने के प्रावधान है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत जो पट्टो के प्रारूप दिनांक 10.09.2021 को निर्धारित किये गये है, उक्त पट्टा प्रारूप पर अब अभियान का लोगो नही होना चाहिए एवं केवल पट्टाधारक का ही फोटो होना चाहिए।

प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी) द्वारा पट्टों पर हस्ताक्षर कर पत्रावली महापौर / सभापति / अध्यक्ष को भिजवाने के 15 दिवस में हस्ताक्षर नहीं किये जाते है, तो उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग से हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी किये जा सकते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(66)नियम / डीएलबी / 2024 / 12995–13596 जयपुर,दिनांकः 19/9/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
5. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
6. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकाऐं, समस्त राज0।
7. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकाऐं समस्त राज0।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग, समस्त राज0।
9. सुरक्षित पत्रावली।
10. आई.टी. सैल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी